

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,

आयोजनागत-अनुदान सं०-14  
तेरह अंको का कोड-2515001011401

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,  
शामली।

संख्या: 1/1102/2014-1/19/2014 : लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-14- पंचायती राज संस्थायें-1401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक संयुक्त सचिव पंचायती राज, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1815/33-3- 2014-35/2014, दिनांक 04 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार ₹ 4271499/- ( ₹ बयालीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ निम्नान्वये मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2467/दस-2014 231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फांइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/8 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/8 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक व्यय न किया जाय।

3- सम्बन्धित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिंग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो समान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4- वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6- उपयुक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-14-पंचायतीराज संस्थायें-1401-सफाई कर्मचारी के नामे डाला जायेगा।

7- वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

8- सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम-27 से कोई धनराशि आहरण न किया जाये।

कमशः-2

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-09/12/2014

प्रेषण संख्या:- 1-1182-2014-1-19-2014  
आवंटन आदेश संख्या:- 006-19-2014  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)  
101 - पंचायती राज  
14 - पंचायती राज संस्थायें  
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1634270 1634270	2134323 2134323	502906 502906	4271499 4271499
	योग	वर्तमान प्रगामी	1634270 1634270	2134323 2134323	502906 502906	4271499 4271499

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बयालीस लाख इकत्तर हजार चार सौ निन्यानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बयालीस लाख इकत्तर हजार चार सौ निन्यानवे

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी